

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मैनपुरी, पीलीभीत एवं कुशीनगर।

राजस्व अनुभाग10-

लखनऊ: दिनांक:27-02-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा बौद्धिक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सं0-303/एव-30-2015-4(जी)/ 2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा वैश्वीकरण, वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत रु0 18,91,732.00 (रु0 अठ्ठारह लाख इक्यानब्बे हजार सात सौ बत्तीस रुपये) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की पर राहत की भी राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

| क्र0 | जनपद का नाम | मद-09 | स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रु0 में) |
|------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मैनपुरी | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 8,00,000.00 |
| 2 | पीलीभीत | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 2,91,732.00 |
| 3 | कुशीनगर | आकाशीय विद्युत | 8,00,000.00 |

| | |
|---|--------------|
| योग | 18,91,732.00 |
| (रू0 अट्ठारह लाख इक्यानब्बे हजार सात सो बत्तीस मात्र) | |

विचार व प्रत्येक/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरण किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10/18/2011. दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी माध्यमिक जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर टेक एव लस किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय स्तर पर ही सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद इस आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देश एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के उपरान्त राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका समुचित सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध बनाना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-आवक गणना जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय

विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संदर्भ में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-3 के पृष्ठ-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित करके शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 18,91,732.00 (रू0 अठ्ठारह लाख इकहत्तर हजार सात सौ बत्तीस मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुक्रम संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के तहत उभरा जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/रा-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को अकृत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by भवदीय.

Shailendra Mani Tripathi

Date: 27-02-2025 16:40:26
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

संख्या-168(1)/एक10-2025-, तदिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
2. - सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
3. - आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0, लखनऊ।
4. - विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
5. - वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।

3. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
4. जिला (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. पीई फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-28/02/2025

प्रेषण संख्या:- 168
आवंटन आदेश संख्या:- 002-168
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 42-अन्य व्यय | योग |
|-------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 800000 27800000 | 800000 27800000 |
| 2 | पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 291732 45425977 | 291732 45425977 |
| 3 | कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 800000 42975832 | 800000 42975832 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 1891732 116201809 | 1891732 116201809 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठारह लाख इकानवे हजार सात सौ बत्तीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ बासठ लाख एक हजार आठ सौ नौ


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।